न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 19/2018 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

एयु स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व नाम "ए.यू. फाईनेन्सर्स(इण्डिया) लि.")
पताः– 19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर–302001 राजस्थान।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. श्याम सुन्दर अग्रवाल पुत्र श्रवण कुमार अग्रवाल — ऋणी / बंधनकर्त्ता
   पताः– 371, वार्ड नं. 08, बावड़ी मार्ग, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान– 332715
2. संगीता देवी पत्नी श्रवण कुमार अग्रवाल — सह ऋणी
   पताः– 371, वार्ड नं. 08, बावड़ी मार्ग, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान– 332715
   दूसरा पताः– दुकान नम्बर 16, वार्ड नं. 12, मौहल्ला कसेरान, ग्राम व तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राज. –332715।
3. श्रवण कुमार पुत्र राम लाल — सह ऋणी
   पताः– 31, पंसारियों का मौहल्ला, तहील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राजस्थान– 332715।
4. राकेश कुमार पुत्र कृष्ण गोपाल — जमानती
   पताः– 53, जैन मंदिर की गली, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राजस्थान– 332715

अप्रार्थीगण

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांकः 13 मार्च, 2018

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री महेश शर्मा द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण श्याम सुन्दर अग्रवाल, संगीता देवी, श्रवण कुमार, राकेश कुमार को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में संगीता देवी पत्नी श्रवण कुमार अग्रवाल की सम्पत्ति जो वार्ड नं. 12, मौहल्ला कसेरान आबादी भूमि में अवस्थित भूखण्ड में बने कॉम्पलेक्स 'अग्रसेन प्लाजा' में बेसमेंट की दुकान नं. 16 का बिना छत, ग्राम व तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि भवन व ढ़ाचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं। जिसकी माप लगभग 10.17 वर्गमीटर है। जिसके पूर्व में दुकान नं. 15, पश्चिम में दुकान नं. 17, उत्तर में कॉम्पलेक्स का रास्ता, दक्षिण में ग्यारसी लाल तिवाड़ी का मकान है, को बंधक रखकर 3,00,000/–रूपये (अक्षरे रूपये तीन लाख मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **21.07.2017** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.** की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर ऋणी को नोटिस जारी किया गया। ऋणी की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर लाल बिजारणियां ने वकालतनामा पेश किया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **21.07.2017** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **श्याम सुन्दर अग्रवाल, संगीता देवी, श्रवण कुमार, राकेश कुमार** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **संगीता देवी पत्नी श्रवण कुमार अग्रवाल की सम्पत्ति जो वार्ड नं. 12, मौहल्ला कसेरान आबादी भूमि में अवस्थित भूखण्ड में बने कॉम्पलेक्स 'अग्रसेन प्लाजा' में बेसमेंट की दुकान नं. 16 का बिना छत, ग्राम व तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि भवन व ढ़ाचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं। जिसकी माप लगभग 10.17 वर्गमीटर है। जिसके पूर्व में दुकान नं. 15, पश्चिम में दुकान नं. 17, उत्तर में कॉम्पलेक्स का रास्ता, दक्षिण में ग्यारसी लाल तिवाड़ी का मकान है,** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को इस शर्त पर की प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो, जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि क भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

7. आदेश आज दिनांकः **13 मार्च, 2018** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner